न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 14/2013 वाद

1. घीसालाल पिता उदा डांगी, आयु वयस्क, निवासी मुरलिया।
2. मु. गंगाबाई पिता उदा डांगी, आयु वयस्क, निवासी मुरलिया।
3. मु. हुडी बाई पिता उदा डांगी, आयु वयस्क, निवासी मुरलिया।
4. मु. कंकु बाई पिता उदा डांगी, आयु वयस्क, निवासी मुरलिया।

– वादीगण

//बनाम//

1. जिलाधीश महोदय, चित्तौडगढ़, जिला चित्तौडगढ़।
2. तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.

निर्णय दिनांक 13.05.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके मौजा मुरलिया तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी नं. 237 मीन रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, आराजी नं. 237/355 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, आराजी नं. 215/354 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है। यह भूमि पूर्व में हेमराज पिता भीमा डांगी एवं उदा पिता हेमराज डांगी की खातेदारी व कब्जे काश्त की थी जो मुरलिया बांध बनने से इंतकाल नं. 33 एवं 37 निर्णय दिनांक 10.06.1969 से मुआवजा लेने से बिलानाम सिंचाई विभाग पेटा काश्त दर्ज हुई। हेमराज की मृत्यु के उपरान्त उनके लड़के प्यार चंद, उदा पिता हेमराज ने उक्त आराजीयात का प्राप्तशुदा मुआवजा पुनः राज्य सरकार में जमा करा दिया और दिनांक 02.11.1987 को प्रतिवादी संख्या 2 ने पटवार हल्का को उक्त आराजीयात प्यारचंद, उदा के नाम करने का आदेश दिया जिस पर इन्तकाल संख्या 144 से प्यारचंद, उदा पिता हेमराज डांगी की खातेदारी में दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 01.12. 1987 को तस्दीक कर जमाबन्दी संवत 2044–47 में प्यारचंद, उदा की खातेदारी में दर्ज कर दिया परन्तु सहवन से पटवार हल्का ने बाद के रोटेशन संवत 2048–51 में खातेदार के बजाय गैर खातेदार दर्ज कर दिया जिससे बाद की जमाबंदियों में भी चला आ रहा है जबकि खातेदारी अंकन होना चाहिए थी। इसमें से प्यारा लाऔलाद फोत हो चुका है व उदा व

जडाव बाई की मृत्यु होकर वादीगण की वारिस हैं और काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण ने कई बार विपक्षीगण से निवेदन किया परन्तु तहसीलदार एवं पटवारी टाल चाल कर रहे हैं इसलिए वादीगण ने यह वाद प्रस्तुत किया है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण की आराजीयात खातेदारी घोषित करते हुए गैर खातेदारी हटाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र अनुसार पेटा काश्त की भूमि में खातेदारी नहीं दी जा सकती है, केवल काश्त का हक दिया जा सकता है और भूमि गैर खातेदारी/काश्त हक के नोट के साथ दर्ज रहनी चाहीये। इसलिए वादीगण की भूमि गैर खातेदारी में ही दर्ज रहनी चाहीए।

वाद पत्र एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई–

1– तनकी नं. 1:– क्या आराजीयात मुतदाविया सिंचाई विभाग के आदेश दिनांक 07.09.1987 अनुसार इन्तकाल नं. 144 निर्णय दिनांक 01.12. 1987 के अनुसार वादीगण खातेदारी इन्द्राज कराने के अधिकारी हैं।

– जिम्मे वादी

2– दादरसी

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण ने इन्तकाल संख्या 144 दिनांक 01.12.1987 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–1, खसरा गिरदावरी ग्राम मुरलिया की खाता संख्या 243, 261, 262 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी संवत 2024–27 ग्राम मुरलिया की खाता संख्या 17 प्रदर्श–3, नामान्तरकरण संख्या 37 ग्राम मुरलिया प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी संवत 2024–27 ग्राम मुरलिया की खाता संख्या 40 प्रदर्श–5, नामान्तरकरण संख्या 33 ग्राम मुरलिया प्रदर्श–6, नामान्तरकरण संख्या 144 ग्राम मुरलिया प्रदर्श–7, नकल जमाबन्दी संवत 2048–51 ग्राम मुरलिया की खाता संख्या 54 प्रदर्श–8, नामान्तरकरण संख्या 84 ग्राम मुरलिया प्रदर्श–9, नामान्तरकरण संख्या 72 ग्राम मुरलिया प्रदर्श–10, नामान्तरकरण संख्या 71 ग्राम मुरलिया प्रदर्श–11, नामान्तरकरण संख्या 86 ग्राम मुरलिया प्रदर्श–12, नकल जमाबन्दी संवत 2060–63 ग्राम मुरलिया की खाता संख्या 32 प्रदर्श–13, खाता संख्या 15 प्रदर्श–14, नक्शा ट्रेस ग्राम मुरलिया प्रदर्श–15, नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 ग्राम मुरलिया की खाता संख्या 88 प्रदर्श–16, खाता संख्या 20 प्रदर्श–17, खाता संख्या 23 प्रदश–18, खाता संख्या 16 प्रदर्श–19, खाता संख्या 57 प्रदर्श– 20, खाता संख्या 22 प्रदर्श–21, खाता संख्या 8 प्रदर्श–22, खाता संख्या 14 प्रदर्श–23, खाता संख्या 85

प्रदर्श–24, प्रतिवादीगण को जारी धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस की छायाप्रति प्रदर्श–25, रसीद प्रदर्श–26 व 27 तथा तामिल प्रति पोस्टकार्ड प्रदर्श–28 प्रस्तुत किया है। इसके अलावा ग्राम मुरलिया का मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। मौखिक साक्ष्य में वादी ने स्वयं का पीडब्ल्यु–1, गंगाराम पिता भागचन्द डांगी निवासी मुरलिया पीडब्ल्यु–2, वरदीचन्द पिता भागु डांगी निवासी मूरलिया पीडब्ल्यु–3 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं व बयान करवाये हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि पूर्व में प्रश्नगत भूमि वादीगण के पूर्वजों के संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी। सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अवाप्त की गई थी जिसका मुआवजा वादीगण ने पुनः सिंचाई विभाग में जमा करा भूमि का कब्जा प्राप्त किया था। प्रदर्श–1 इन्तकाल संख्या 144 दिनांक 01.12.1987 के कॉलम संख्या 14 में राजस्व अधिकारी द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट की गई है कि सिंचाई विभाग से प्यारचन्द, उदा पिता हेमराज डांगी के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकार किया गया। प्रदर्श–2 खसरा गिरदावरी में घीसालाल पिता उदा डांगी का कब्जा काश्त अंकित है। प्रदर्श–3 में आराजीयात उदा वल्द हेमराज डांगी के नाम खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श– 4 इन्तकाल संख्या 37 में प्रश्नगत आराजीयात खातेदार उदा पिता हेमराज डांगी से बिलानाम पेटा तालाब दर्ज हुई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित भूमि पूर्व में वादीगण एवं उनके पूर्वजों के नाम खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी। सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अवाप्त किये जाने व बाद में मुआवजा जमा करा देने से पुनः वादीगण के पुर्वजों के नाम दर्ज की गई परन्तु प्रदर्श–8 में उक्त भूमि प्यारचन्द, उदा पिता हेमराज डांगी के नाम गैर खातेदारी दर्ज की गई। इसी प्रकार प्रदर्श–9 नामान्तरकरण संख्या 84 व प्रदर्श–10 इन्तकाल नं. 72 की आराजीयात जो बिलानाम पेटा तालाब अंकित है, उसमें भी स्पष्ट रूप से उदा पिता हेमराज डांगी के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये हैं। अन्य दस्तावेजी साक्ष्य सहायक दस्तावेज व राजस्व रेकार्ड हैं। उक्त सभी दस्तावेजों के अवलोकन एवं मौखिक साक्ष्य पर मनन से स्पष्ट है कि वादीगण की आराजीयात सिंचाई विभाग द्वारा अवाप्त की गई थी तथा मुआवजा राशि जमा कराई जाने से पुनः सम्बन्धित की खातेदारी में अंकित किये जाने का आदेश हुआ था जो प्रस्तुत इन्तकाल में भी स्पष्ट अंकित है। परन्तु रोटेशन में बाद की जमाबन्दीयों में खातेदारी की बजाय गैर खातेदारी अंकित कर दी गई जो स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है। वादी अपना वाद साबित करने में सफल रहा है इसलिए वादी का दावा डिक्री योग्य है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। वाके मौजा मुरलिया तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी नं. 237 मीन रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, आराजी नं. 237/355 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, आराजी नं. 215/354 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा जिसके नवीन नम्बर खाता संख्या 88 की आराजी नं. 243 रकबा 0.2400 हैक्टेयर,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजी नं. 261 रकबा 1.0400 हेक्टेयर तथा आराजी नं. 262 रकबा 0.5300 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.8100 हैक्टेयर भूमि से गैर खातेदारी विलोपित करते हुए वादीगण के नाम खातेदारी की घोषित की जाती है। उक्त आराजीयात वादीगण की खातेदारी में दर्ज हो। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 13.05.2019 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 14/2013 वाद

1. घीसालाल पिता उदा डांगी, आयु वयस्क, निवासी मुरलिया।
2. मु. गंगाबाई पिता उदा डांगी, आयु वयस्क, निवासी मुरलिया।
3. मु. हुडी बाई पिता उदा डांगी, आयु वयस्क, निवासी मुरलिया।
4. मु. कंकु बाई पिता उदा डांगी, आयु वयस्क, निवासी मुरलिया।

– वादीगण

//बनाम//

1. जिलाधीश महोदय, चित्तौडगढ़, जिला चित्तौडगढ़।
2. तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.

निर्णय दिनांक 13.05.2019

प्रकरण में वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग ओझा एवं प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। वाके मौजा मुरलिया तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी नं. 237 मीन रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, आराजी नं. 237/355 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, आराजी नं. 215/354 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा जिसके नवीन नम्बर खाता संख्या 88 की आराजी नं. 243 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, आराजी नं. 261 रकबा 1.0400 हेक्टेयर तथा आराजी नं. 262 रकबा 0.5300 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.8100 हैक्टेयर भूमि से गैर खातेदारी विलोपित करते हुए वादीगण के नाम खातेदारी की घोषित की जाती है। उक्त आराजीयात वादीगण की खातेदारी में दर्ज हो। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 13.05.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2019.12.06 17:42:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: